छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक/1323/05/विज्ञापन/2010 रायपुर, दिनांक 16/02/2012

:: शुद्धि पत्र ::

शुद्धि पत्र क्र. 02/2012/परीक्षा/दिनांक 16/02/2012

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर **''राज्य सेवा परीक्षा–2011''** के **कुल रिक्त – 302 पदों** की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 06/2011/परीक्षा/दिनांक 26.12.2011 जारी किया गया था, जिसका प्रकाशन ''रोजगार और नियोजन'' के अंक दिनांक 28.12.2011 में हुआ था तथा शुद्धि पत्र क्र. 01/2012/परीक्षा/दिनांक 01.02.2012 जारी किया गया था।

(2) आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 06/2011/परीक्षा/दिनांक 26.12.2011 के कंडिका (8.2)(A)(iv) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः– ''छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। **परन्तु यह कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं महिला/विधवा/परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परन्तु यह और भी कि इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।''**

(3) **विज्ञापन की ''कंडिका (20) अनर्हता'' को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–**

कंडिका (20) अनर्हताः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार :–

(i) कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(vi) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) आयोग द्वारा उपर्युक्त संशोधन के आधार पर विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.02.2012 के स्थान पर **24.02.2012 रात्रि 12:00 बजे तक होगी तथा त्रुटि सुधार दिनांक 25.02.2012 अपरान्ह 12:00 बजे से 05.03.2012 रात्रि 12:00 बजे तक किया जा सकेगा।**

(5) आयोग द्वारा प्रकाशित इस शुद्धि पत्र में उल्लेखित संशोधन के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा–2011 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 06/2011/परीक्षा/दिनांक 26.12.2011 प्रकाशन दिनांक 28.12.2011 की शेष शर्तें/कंडिकाएं यथावत रहेगी।

हस्ता/–

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

रायपुर